न्यायालय — राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

~~निगरानी प्रकरण क्रमांक 790/दो~~/2016 जिला छतरपुर

मोहनसिंह पुत्र श्री देवकीनंदन,
निवासी नेगुवां, तहसील नौगांव,
जिला छतरपुर (म.प्र.)—— अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन —— प्रत्यर्थी

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन—पत्र।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :—

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 845/अ—19/2007—08 अपील में पारित आदेश दिनांक 01.10.2013 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 790/दो/2016 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 15.03.2016 पारित किया गया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की गयी है (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)
2. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष जो अपील अलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी, उसमें लिपिकीय त्रुटिवश भूमि सर्वे क्रमांक 900/2 रकवा 0.405 हैक्टेयर लिखा गया है और इसी आधार पर पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश में भूमि सर्वे क्रमांक 900/2 रकवा 0.405 हैक्टेयर का उल्लेख किया है, जबकि वास्तविक रूप से भूमि का रकवा 0.354 हैक्टेयर है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के आदेश में उक्त त्रुटि संशोधन योग्य है। (तहसीलदार तहसील नौगांव के समक्ष आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र की फोटो प्रति संलग्न है)।
3. यहकि, आवेदन पत्र सद्भाविक एवं न्यायिक होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतएव निवेदन है कि आवेदन—पत्र स्वीकार कर निगरानी मेमो एवं माननीय न्यायालय के आदेश में भूमि 900/2 रकवा 0.405 हैक्टेयर के स्थान पर रकवा 0.354 हैक्टेयर लिखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जायें।

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 06.10.2016

निवेदक
मोहनसिंह —— अपीलार्थी
द्वारा अभिभाषक
दिवाकर दीक्षित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ट

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण 9201/एक/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08.12.16	आवेदक अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के आवेदन पर सुना गया। अभिभाषक द्वारा बताया गया कि आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश भूमि सर्वे क्रमांक 900/2 रकवा 0.405 है0 का उल्लेख किया गया है। जबकि वास्तविक रूप से भूमि सर्वे क्रमांक 900/2 का रकवा 0.354 हैक्टेयर होना चाहिये। मेरे द्वारा अभिभाषक के तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आदेश में सर्वे क्रमांक 900/2, का रकवा 0.405 है0 लिखा गया है, जबकि वास्तविक रूप से भूमि सर्वे क्रमांक 900/2 का रकवा 0.354 हैक्टेयर पढा जाये। उक्त आदेश मूल आदेश का अंग होगा। सदस्य	